बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

सं0सं0–9/आ०–01–26/2023(स्वा0) .... /पटना, दिनांकः–..

डॉ0 बृज किशोर प्रसाद, तत्कालीन अपर उपाधीक्षक–सह–सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गैर संचारी रोग, सासाराम, रोहतास के विरूद्ध दिनांक–15.06.2021 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0–702(9) दिनांक–30.06.2023 एवं संशोधित संकल्प सं0–931(9) दिनांक–04.09.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। पुनः संशोधित सकल्प सं0–1664(9) दिनाक–21.11.2023 के द्वारा डा0 प्रसाद के विरूद्ध दिनांक–13.07 2018 से 14.06.2021 तक भी अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में पूरक आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) में डा0 प्रसाद के विरूद्ध बिना अवकाश स्वीकृत कराए कर्त्तव्य पर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

3. डा0 प्रसाद से विभगीय पत्रांक–679(9) दिनांक–07.08.2024 द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा की मॉग की गयी। डा0 प्रसाद द्वारा प्रत्युत्तर समर्पित कर अवगत कराया गया है कि वे पत्नी की अस्वस्थता के कारण दिनांक–13 07 2018 से 18.06.2020 तक कर्त्तव्य पर अनुपस्थित रहें। उनके द्वारा दिनाक–19.06 2020 को कर्त्तव्य पर योगदान समर्पित किया गया। विभागीय अधिसूचना रा0–1663(9) दिनाक–21.11.2023 के अनुपालन में दिनांक–19.06.2020 के प्रभाव से कर्त्तव्य पर योगदान समर्पित किया गया। डा0 प्रसाद द्वारा दिनाक–19.06.2020 से 24.11.2023 तक की अवधि को पदस्थापन की प्रतीक्षा में मानते हुए वेतन का भुगतान करने एवं दिनांक–13.07.2018 से 18.06.2020 तक की अवधि को उपभोगित अवकाश में स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

4. सिविल सर्जन, सासाराम के पत्रांक–1804 दिनांक–20.06.2020 एवं पत्रांक–1164 दिनांक–18.05.2021 के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0–1663(9) दिनांक–21.11.2023 के द्वारा सिविल सर्जन, रोहतास को डा0 प्रसाद का योगदान स्वीकार करने का निदेश दिया गया।

5. सिविल सर्जन, रोहतास, सासाराम के ज्ञापांक–2859 दिनांक–04.12.2024 द्वारा सूचित है कि विभागीय आदेश सं0–1663(9) दिनांक–21.11.2023 के अनुपालन में डा0 वृज किशोर प्रसाद द्वारा दिनांक–24.11.2023 को कर्त्तव्य पर योगदान समर्पित किया गया। डा0 प्रसाद द्वारा दिनांक–24.11.2023 से कार्य किये जाने की तिथि ही योगदान की तिथि मान्य होगा संसूचित की गई है। डा0 प्रसाद दिनांक–29.02.2024 को वार्धक्य सेवानिवृत्त हो गये।

6. विभागीय अधिसूचना सं0–470(3) दिनांक–29.06.2018 द्वारा डा0 प्रसाद को सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (संचारी रोग) भोजपुर से सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (गैर संचारी रोग) सासाराम, रोहतास के पद पर स्थानांतरित किया गया। उनके द्वारा दिनांक–04.07.2018 को कर्त्तव्य पर योगदान करने के उपरान्त दिनांक–05.07.2018 से 12.07.2018 तक आकस्मिक अवकाश पर चले गये। वे पत्नी की अस्वस्थता का उल्लेख करते हुए दिनांक–13.07.2018 से 18.06.2020 तक एवं दिनांक–20.06.2020 से 23.11 2023 तक अनधिकृत रूप से कर्तव्य पर अनुपस्थित रहें। उनके द्वारा दिनांक–13.06.2020, 21.06 2020, 28.12.2019, 19.12.2019, 21.06.2019, 03.06.2019 को आवेदन समर्पित कर पटना या आरा जिले के शहरी क्षेत्र में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है। इससे स्पष्ट है कि वे सासाराम में कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं थे।

09/03/2025

(15)

7. फलतः अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डा0 प्रसाद के विरूद्ध दिनांक–13.07.2018 से 18.06.2020 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(ख) के अधीन सेवानिवृति की तिथि से 10% (दस प्रतिशत) पेंशन की राशि स्थायी रूप से कटौति करने एवं दिनांक–20.06.2020 से 23.11.2023 तक के अवधि को कार्य नही तो वेतन नहीं व आलोच्य अवधि की किसी भी प्रयोजन हेतु गणना नही करने का शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

8. विभागीय पत्रांक–532(9) दिनांक–26.05.2025 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की मॉग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–4577 दिनांक–13.02.2026 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त किया गया है।

9. अतएव डा0 बृज किशोर प्रसाद, अपर उपाधीक्षक–सह–सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गैर संचारी रोग, सासाराम, रोहतास सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध दिनांक–13.07.2018 से 18.06.2020 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में बिहार पेशन नियमावली, 1950 के नियम–43(ख) के अधीन सेवानिवृति की तिथि से 10% (दस प्रतिशत) पेंशन की राशि स्थायी रूप से कटौति करने एवं दिनांक–20.06.2020 से 23.11.2023 तक की अवधि को कार्य नही तो वेतन नहीं व आलोच्य अवधि को किसी भी प्रयोजन हेतु गणना नहीं करने का शास्ति अधिरोपित एव संसूचित किया जाता है।

10. उपर्युक्त प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

Email

ज्ञापांकः–9/आ०–01–26/2023(स्वा0) 284(9) / **पटना, दिनांकः–** 10.03.26

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले० एवं ह०) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, सासाराम, रोहतास/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पटना प्रमडल, पटना/सिविल सर्जन, सासाराम, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डा0 बृज किशोर प्रसाद, अपर उपाधीक्षक–सह–सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गैर संचारी रोग, सासाराम, रोहतास सम्प्रति सेवानिवृत्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी 2(ए), 2(बी) 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उपेन्द्र
09/03/2026
सरकार के अवर सचिव।